

भाग I

प्रस्तुतकर्ता अध्यापार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर सहायनपुर क्रम 2025305010365
द्वितीय

आवेदन संख्या 202500702026965

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2025-05-15 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का आशीष सक्सेना
नाम

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 18328000 / 4582000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 183280

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 80

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए
शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 183360

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2025-05-15 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2025-05-15 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के
हस्ताक्षर

उप निबन्धक द्वितीय
सदर सहायनपुर

विक्रय पत्र

कार्यालय का नाम :- उपनिबंधक:-सदर सहारनपुर

मूल क्षेत्राधिकार:-उपनिबंधक कार्यालय सदर द्वितीय सहारनपुर

फोटो मिलानकर्ता :-

नापीराम

शेखावती

शेखावती

शाहीद



1-प्रतिफल की धनराशि :-मुबलिंग 1,83,28,000/- रूपये

2- कानूनी मालियत :-मुबलिंग 45,82,000/- रूपये

3- स्टाम्प शुल्क :- मुबलिंग 12,82,960/-रूपये

(ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट संलग्न है)

4-संपत्ति का प्रकार:- कृषि भूमि

5- विक्रीत संपत्ति आवास विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है।

6-संपत्ति का क्षेत्रफल:- 0.3950हे०

Shekawat
Shekawat

Shekawat



Shekawat



7-संपत्ति का विवरण :- खसरा संख्या:- 163/1

खाता खतौनी क्रम संख्या:- 00046 फसली वर्ष:-1428-1433तक

व खसरा संख्या:- 164

खाता खतौनी क्रम संख्या:- 00076 फसली वर्ष:-1428-1433तक

8-मापन की इकाई :-हेक्टेयर

9-कृषि भूमि विक्रीत बाके ग्राम मौ.पुर वहलोलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर है(पृष्ठ संख्या 59 क्रमांक 452 क्षेत्र:-अर्धनगरीय) जहाँ का सरकारी निर्धारित रेट 1,16,00,000/-रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत आराजी की कानूनी मालियत अंकन 45,82,000/-रूपये होती है।


10- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति के सम्बन्ध में कोई अनुबंध विलेख पंजीकृत नहीं है।

11- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति की 200 मीटर की त्रिज्या में आवादी/अकृषक गतिविधिया मौजूद नहीं है।

12-यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति में वृक्ष अथवा बोरिंग /नल /नलकूप अथवा कोठा /मकान नहीं है।

13- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति सामान्य भूमि है।

14- यह की निम्नलिखित संपत्ति का अंतरण सहारनपुर विकास प्राधिकरण ,सहारनपुर के हक में हो रहा है इस कारण 07 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।



17- सम्बन्धित भूमि सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारिकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु क्रय की जा रही है। काश्तकारों से विक्रीत सम्पत्ति सर्विल ग्रेट दर के चार गुणा कीमत पर सहमति के आधार पर क्रय की जा रही है। यह कि यदि किसी व्युत्पन्न माप के लिखित पढत व किसी अन्य की हिस्सेदारी या माननीय न्यायालय में किसी अन्य हिस्सेदार के पक्ष में आदेश प्राप्त होते हैं तो विक्रेता इस रकम को (जो कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण से मुआवजे / प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर रहा है) सहारनपुर विकास प्राधिकरण को वापस करने का पाबन्द व जिम्मेदार रहेगा। विकास कार्य करते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अधिक धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो धनराशि 15 प्रतिशत व्याज प्रति वर्ष की दर सहित भू-राजस्व के वकाये की भाँति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को वसूलने का अधिकार होगा।

सीमाये खसरा संख्या 164

पूरब में:- - राजवाहा

पश्चिम में:- - चकमार्ग

उत्तर में :- खसरा संख्या 167

दक्षिण में :- खसरा संख्या 163

सीमाये खसरा संख्या 163/1


पूरब में:- - राजवाहा

पश्चिम में:- - चकमार्ग


उत्तर में :- खसरा संख्या 164

दक्षिण में :- शेष खसरा संख्या 163

Shahji Singh Mevawati



Dr. J. Singh



[Signature]



15- यह की विक्रेता अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिसने उक्त वर्णित भूमि विक्रय करने हेतु न्यायालय अपर जिलाधिकारी (विन एवं राजस्व) मंडल सहारनपुर जनपद सहारनपुर तहसील सहारनपुर वाद संख्या- 1354/2025 कम्प्यूट्रीकृत वाद संख्या :-D202509600001354 नार्थीगम पुत्र श्री शंकर लाल बनाम सरकार अन्तर्गत धारा- 98(1) अधिनियम उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 02.04.2025 व वाद संख्या- 1371/2025 कम्प्यूट्रीकृत वाद संख्या :-D202509600001371 श्रीमती मेवावती पत्नी श्री विनोद कुमार बनाम सरकार अन्तर्गत धारा- 98(1) अधिनियम उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 02.04.2025 के द्वारा व वाद संख्या- 1369/2025 कम्प्यूट्रीकृत वाद संख्या :-D202509600001369 प्रेमवती पत्नी बुद्धा बनाम सरकार अन्तर्गत धारा- 98(1) अधिनियम उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 02.04.2025 सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूमि विक्रय किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त की गयी है, जिसकी छायाप्रतिया दस्तावेज हाजा के साथ संलग्न है।

16- यह की उपरोक्त खसरा नम्बर-163/1, 164 राजस्व अभिलेख / उद्धरण खतौनी के अनुसार श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधर अधिकार की भूमि के अन्तर्गत है तथा उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा-77 के अनुसार प्रश्रगत खसरा नम्बर सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है।



 Lt Mewawati

विवेता का विवरण संख्या (03)

1-श्री नाथीराम पुत्र श्री शंकर लाल निवामी 695E ,टाइप 2 ,रेल कोच
फैक्ट्री कपूरथला पंजाब हाल निवामी अम्बिकाधाम कॉलोनी महारनपुर
आधार संख्या XXXX XXXX 9656 पेन संख्या :- ACOPR9231Q

(बकदर हिस्सा रकबई 0.1180हे० ,कानूनी मालियत अंकन 13,68,800/-रूपये
,प्रतिफल की धनराशी अंकन 54,75,200/-रूपये)

2- श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री बुद्धा राम

निवासी दिल्ली रोड ,हसनपुर मंदिर वाली गली,माँहम्मदपुर माफी
महारनपुर

आधार संख्या XXXX XXXX 1701

पेन संख्या :-HLBPP5348P

(बकदर हिस्सा रकबई 0.0693हे० ,कानूनी मालियत अंकन 8,03,880/-रूपये
,प्रतिफल की धनराशी अंकन 32,15,520/-रूपये)

3- श्रीमती मेवा बती पत्नी श्री विनोद कुमार निवासी ढाकादेई हाल F-
2/14 सेक्टर 11 रोहिणी सेक्टर 11 उत्तर पश्चिमी दिल्ली 110085

आधार संख्या XXXX XXXX 2811

पेन संख्या :-AEIPW8764R

(बकदर हिस्सा रकबई 0.2077हे० ,कानूनी मालियत अंकन 24,09,320/-रूपये
,प्रतिफल की धनराशी अंकन 96,37,280/-रूपये)

Abithi Devi Mevawati

1 + 0/0000



क्रेता का विवरण संख्या (01)

सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर-247001

(पैन नम्बर AAALS0359L) द्वारा अधिकृत पदाधिकारी /प्रतिनिधि
आशीष सक्सेना (अवर अभियन्ता, सहारनपुर विकास प्राधिकरण) पुत्र श्री
कृष्ण चंद सक्सेना, निवासी 311/108 ए, मीरापुर, डी ए वी कालेज,
मीरापुर, प्रयागराज, आधार संख्या XXXX XXXX 5328

मौ०:-8005468480

(उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर के पत्रांक संख्या
2529 / अर्जन / स०वि०प्रा० / 2024-25 दिनांक 11/02/2025
के द्वारा अधिकृत)

संपत्ति प्राप्ति का स्रोत:- जो कि निम्नलिखित भूमि के विक्रेता मालिक व
काबिज है और विक्रेता का नाम कागज़ात सरकारी खसरा खतौनी में बतौर
मालिक नाम दर्ज चला आ रहा है जो विक्रेता को बजरिये विरासत प्राप्त हुई
है।


Nishi Rana meawati




स. जेठानी



S. Jethani



जिसके सम्बन्ध में विक्रेता को पूर्ण अधिकार मालकाना व इस्तेमाल तथा हस्तांतरण आदि के प्राप्त है और जो आज तक हर प्रकार के करजे व अनुबंध व हस्तान्तरण आदि से पाक व साफ है और जिसकी बाबत किसी न्यायालय या अन्य किसी भी जगह कोई वाद विवाद विचारधीन नहीं है लिहाजा विक्रेता ने बखुशी विना किसी दबाव व जबर के बदरस्ती होशो हवास अपनी के निम्नलिखित भूमि को वमुकावले अकन 1,83,28,000/- रुपये जिसके आधे 91,64,000/- रूपये होते है बदस्त क्रेता उपरोक्त के बैय कतई और फरोख्त कामिल कर दी है और कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व वाकई अपना विक्रेता ने निम्नलिखित भूमि विक्रीत से उठाकर कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व वाकई उस पर क्रेता उक्त का पूरी तौर पर करा दिया है और क्रेता को अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह निम्नलिखित भूमि विक्रीत पर काबिज रहकर उसमे अपनी पसंद की काश्त करे उसको रहन या बैय करे या उसको जो चाहे सौ करे और कागजात सरकारी में अपना नाम बतौर मालिक के दर्ज करा ले उजर ना होगा विक्रेता का या उसके किमी वारिस व कायम मुकामान का विक्रीत भूमि में किसी प्रकार का कोई अधिकार बाकी नहीं रहा है और ना आइन्दा को होगा यदि आज से पहले की कोई सरकारी या गैर सरकारी देनदारी निम्नलिखित भूमि विक्रीत के सम्बन्ध में बाजिव हुई तो उसको विक्रेता अदा व बेबाक करने का पावन्द व जिम्मेदार रहेंगे । अगर आइन्दा बवजह दावेदारी किसी शख्स सहीम या हकदार किफालतदार के आराजी मुबईया कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व वाकई क्रेता जायदाद उक्त से निकल जावे या कब्जा दखल में फर्क आवे तो क्रेता जायदाद को अधिकार प्राप्त होगा की अपना कुल विक्रय धन उपरोक्त मय हरजे खर्च के भूमि मुबईया व दीगर जायदाद माल व जात खास विक्रेता से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवे उजर ना होगा ।



तफसील जायदाद मुबइया

संक्रमणीय हकूक भूमिधरी भूमि रकबई 0.3950 हे० मुन्दर्जा खसरा संख्या 163/1 रकबई 0.1180हे० खाता खतौनी क्रम संख्या:- 00046 फसली वर्ष:-1428-1433तक व खसरा संख्या 164 रकबई 0.2770हे० खाता खतौनी क्रम संख्या:- 00076 फसली वर्ष:-1428-1433तक तक यानि विक्रेता का कुल हक व हिस्सा यानि अपना कुल सर्व भाग वाके ग्राम मौ.पुर बहलोलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर मय जुमला हक हकूक हर किस्म मुतालिका उसके बिला इसतसनाये किसी जुजव या हक के जिसका नक्शा सलग्न है जो दस्तावजे हाजा का भाग है।

नोट:-उपरोक्त विक्रीत भूमि खसरा संख्या 163/1 ,164 के अंतर्गत विक्रेतागण का कोई अंश अथवा भाग शेष नही रहा है।

Meerli Ben meawati

लक्ष्मी

Meer



तफसील वमूल जरे समन

कुल जरे समन अंकन 1,83,28,000/-रूपये विक्रेता द्वारा बैंक प्रणाली /बैंक हस्तांतरण द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जो विक्रेता को प्राप्त होना स्वीकार है और कोई शेष जरे समन बाकी नहीं रहा है | जिसका विवरण विक्रय पत्र के साथ संलग्न है |

लिहाजा यह दस्तावेज निम्न दी की मजद हो और वक्त जगरत काम जावे |

Mohini Devi Mevarwadi
ह०-----
L. S. Mevarwadi

ह०-----
D. S. Mevarwadi

माश्री:-1:-श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री ब्रह्म सिंह
निवासी इगिपुर महारनपुर

ह०-----
Kuldeep Singh



श्रीपदम
एकलकर
महाराष्ट्र

माश्री :-2-श्रीपाल पुत्र श्री चमन सिंह
निवासी 307 ,विजय कॉलोनी महारनपुर

ह०-----
Chaman Singh



श्रीपाल
एकलकर
महाराष्ट्र
150, 151, 152, 153, 154, 155
महाराष्ट्र 422002

लेखनिधि :- 15 मई सन 2025 ई०

रविबता:-

विपिन कृष्ण शीमुख

150, 151, 152, 153, 154, 155
महाराष्ट्र 422002

सम्पत्ति का फोटो



Abhishek Kumar



Movabati



S. K. Singh





Branch: SAHARANPUR GUANTA DHAR
RAJENDRA NAGAR, RAILWAY ROAD, POST BOX 24, SAHARANPUR
UTTAR PRADESH 247001
PIN Code: 247001

VALID FOR 10 YEARS
Issue Date: 15/05/2025
D D M M Y Y Y Y

OR BEARER
का धारक को

गान नंबर

करोड़ तिरासी लाख अठारस हजार मात्र

अंश में

₹ = 1,83,28,000/-

7932210102

FOR AUTHORIZED SIGNATURES
FOR SIGNATURES

CHS Doc: 64381

वित्त एवं आर्थिक सेवाएँ

साहारनपुर विकास प्राधिकरण
साहारनपुर

साहारनपुर विकास प्राधिकरण
साहारनपुर

672515 2170190164 210102* 31

निम्न तालिकानुसार अपने स्तर से संलग्न पारानुक से सम्बन्धित कारखाने/कृषक के खाता संख्या, IFSC विवरण आदि का गिलान अनिवार्य रूप से करते हुए सुसंगत खाते में ही धनराशि जमा करने का कष्ट करें :-

क्र. सं०	सम्बन्धित पक्ष का नाम	धनराशि रुपये में	खाता संख्या	बैंक का नाम	IFSC Code
31	श्री गणेश राम पुत्र शंकर लाल	54,75,200.00	37609965002	STATE BANK OF INDIA	SBIN0007994
32	श्रीमती देववती पत्नी कुम्हारण	32,15,320.00	43748059073	STATE BANK OF INDIA	SBIN0007994
33	श्रीमती देववती पत्नी विनोद कुमार	96,37,280.00	30100789133142	HDFC BANK LTD	HDFC0000303
	योग-	1,83,28,000.00			

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

वित्त एवं आर्थिक सेवाएँ
साहारनपुर विकास प्राधिकरण
साहारनपुर।

① |DIBN52025051561840399

② |DIBN52025051561840540

③ |DIBN52025051561840709



Nathi Ram

 **भारत सरकार**
GOVERNMENT OF INDIA


 **नाथी राम**
Nathi Ram
जन्म तिथि / DOB: 08/04/1958
लिंग / GENDER: MALE

8238 1713 9656



-नाथी रामदासी का अधिकार

नाथी रामदासी / PERMANENT ACCOUNT NUMBER
ACOPR9231Q

 **नाथी राम**
NATHI RAM

पिता का नाम / FATHER'S NAME
SHANKAR LAL

जन्म तिथि / DATE OF BIRTH
08-04-1958

आयकर अधिकारी, जलन्धरा
COMMISSIONER OF INCOME TAX, JALANDHAR

Nathi Ram

Nathi Ram



 **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता / Address
S/O Shankar Lal, House No. 635 C, Type 2, Rail Coach Factory, Rail Coach Factory, Sector 14, Jalandhar, Punjab, 144602

पिन कोड / PIN Code
144602

पता / Address
S/O Shankar Lal, House No. 635 C, Type 2, Rail Coach Factory, Rail Coach Factory, Sector 14, Jalandhar, Punjab, 144602

पता / Address
S/O Shankar Lal, House No. 635 C, Type 2, Rail Coach Factory, Rail Coach Factory, Sector 14, Jalandhar, Punjab, 144602





आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, विल एवं राजस्व

मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर

वाद संख्या : - 1354/2025

संयुक्तरीफ्त वाद संख्या : - 0202509600001354

नाथीराम पुत्र शंकरलाल बनाम सरकार

अंतर्गत धारा: - 98(1), अधिनियम : - उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश


प्रस्तुत वाद की कार्यवाही नाथीराम पुत्र शंकरलाल निवासी अम्बिकाधाम कालोनी सहारनपुर तहसील व जिला सहारनपुर के द्वारा धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत भूमि को किसी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र के अनुसार वादी अपनी भूमि में से 0.1180 हे० भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को गा० मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में निर्धारित सर्किल दर अंकन 13,68,800-00 रुपये के अनुसार प्रतिफल की घनराशि अंकन 54,75,200-00 रुपये में विक्रय करना चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सहारनपुर से आख्या प्राप्त की गयी। उप जिलाधिकारी सहारनपुर की आख्या दिनांक 19.03.2025 प्राप्त हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.03.2025 में स्पष्ट किया गया है कि वादी अपनी भूमि में से 0.1180 हे० भूमि को विक्रय करना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसके पास 0.5975 हे० भूमि अवशेष बचती है। वादी उक्त विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि को गा० मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु विक्रय करना चाहता है। विक्रय किये जाने वाली भूमि भार मुक्त है, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उक्त भूमि को क्रय करने के लिये तैयार नहीं है। विक्रय की जाने वाली भूमि पट्टे की नहीं है। प्रश्नगत भूमि धारा 77 उप० राजस्व संहिता से आच्छादित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत भूमि के विक्रय किये जाने में धारा 98(1) उप० राजस्व संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। वादी को उक्त भूमि को विक्रय किये जाने की संस्तुति उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा की गयी है।

अतः नाथीराम पुत्र शंकरलाल निवासी अम्बिकाधाम कालोनी सहारनपुर तहसील व जिला सहारनपुर को खसरा नम्बर 183/1 एकबरा 0.1180 हे० भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98(1) के खण्ड (ग) एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 का नियम 99 के प्रसार 8(ड) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि के अन्तर्ण का प्रतिफल कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार आगणित एकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की कितनी धारा एवं नियमावली के कितनी नियम का उल्लंघन होता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अगिलेखागार में संवित की जाए।

दिनांक- 02.04.2025

Naathi Lona



(रजनीश कुमार मिश्र)
अपर कलेक्टर (जिला एवं राजस्व)
सहारनपुर।



~~भारत सरकार~~
~~GOVERNMENT OF INDIA~~



मेवा वती
Meva Wati
जन्म तिथि/ DOB: 15/08/1967
महिला / FEMALE



4075 8917 2811

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
W/O विनोद कुमार, एफ-2/14,
सेक्टर-11, रोहिणी, रोहिणी सेक्टर-
१३, उत्तर पश्चिमी,
दिल्ली - 110085

Address
W/O Vinod Kumar,
F-2/14,, sector-11,
Rohini, Rohini Sec-11,
North West Delhi,
Delhi - 110085



1947 1800 300 1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in P.O. Box No 1947, Bangalore-560 001

Use for S.O.A office

Saharanpur wa
depend on bill of property
claim
mevawati



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AEIPW8764R

नाम / Name
MEVAWATI

पिता का नाम / Father's Name
ATTAR SINGH

जन्म की तारीख / Date of Birth
15/08/1967

Mevawati
हस्ताक्षर / Signature



Use for S.O.A. office only.
लक्ष्मण (विभागात्) प्राधिकरण

Mevawati.

4/4/2025





आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व

मण्डल : सहारनपुर, जलपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर

वाद संख्या : - 1371/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : - D202509600001371

श्रीमती मेवावती पत्नी विनोद कुमार अलाय अरबाब

अंतर्गत धारा : - 98(1), अधिनियम : - उत्तर प्रदेश राजस्व गृहिता - 2006

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्रीमती मेवावती पत्नी विनोद कुमार निवासी ग्राम टाकादेई तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर के द्वारा धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत भूमि को किसी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र के अनुसार वादीया अपनी भूमि 0.2077 हे० स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में निर्धारित सर्किल दर अंकन 24,09,320-00 रुपये के अनुसार प्रतिफल की घनराशि अंकन 96,37,280-00 रुपये में विक्रय करना चाहती है। वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सहारनपुर से आख्या प्राप्त की गयी। उप जिलाधिकारी सहारनपुर की आख्या दिनांक 19.03.2025 प्राप्त हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.03.2025 में स्पष्ट किया गया है कि वादीया अपनी भूमि 0.2077 हे० को विक्रय करना चाहती है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई भूमि अवशेष नहीं बचती है। वादीया उक्त विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि को मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु विक्रय करना चाहती है। विक्रय किये जाने वाली भूमि भार मुक्त है, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उक्त भूमि को क्रय करने के लिये तैयार नहीं है। विक्रय की जाने वाली भूमि पट्टे की नहीं है। प्रश्नगत भूमि धारा 77 उ०प्र० राजस्व संहिता से आच्छादित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत भूमि के विक्रय किये जाने में धारा 98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 का उल्लंघन नहीं होता है। वादीया को उक्त भूमि को विक्रय किये जाने की संस्तुति उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा की गयी है।

अतः श्रीमती मेवावती पत्नी विनोद कुमार निवासी ग्राम टाकादेई तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर को खरास नम्बर 104 रकबा 0.2770 हे० में से 0.2077 हे० भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98(1) के खण्ड (ग) एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 का नियम 93 के प्रस्तर 8(2) के अंतर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि के अन्तर्गत का प्रतिफल कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किसी धारा एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में रक्षित की जाए।

दिनांक:- 02.04.2025

Meawati



(रजनीश कुमार मिश्र)

अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)

सहारनपुर।




भारत सरकार
Government of India

आधार
Aadhaar
आधार ID: 3293 7141 1701
लिंग: FEMALE

आधार का प्रयोग केवल पहचान के उद्देश्य के लिए है।
यह आधार को बदलने (पहचान प्रमाणों के अभाव में) या इसे हटाने के लिए
आधार प्रमाण के अभाव में) उपयोग के लिए नहीं है।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship
or date of birth. It should be used with verification (online
authentication or scanning of QR code / offline BKL)

3293 7141 1701
मेरा आधार, मेरी पहचान






भारत सरकार
Government of India

आधार
Aadhaar
आधार ID: 3293 7141 1701
UID: 3293 7141 1701

Address
3073 Bunkar Hart, Datta Road, Sahasranga,
Sahasranga, Sahasranga, Sahasranga
Dist: Sahasranga (057) Sahasranga
Pin: 247001



3293 7141 1701
UID: 3293 7141 1701

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
HLBPP5348P



नाम / Name
PARVATI

पिता का नाम / Father's Name
KALU RAM

जन्म की तारीख /
Date of Birth
01/07/1947

34032625

सहस्रनाम / Signature



विपिन
पार्वती





आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व

मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर

वाद संख्या : -1369/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : -D202509600001369

प्रेमवती पत्नी बुच्चा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा : - 98(1), अधिनियम : - उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्रीमती प्रेमवती पत्नी बुच्चा राम निवासी ग्राम मौहम्मदपुर माफी तहसील व जिला सहारनपुर के द्वारा धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत भूमि को किसी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र के अनुसार वादीया अपनी भूमि 0.0693 हे० स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को मा० मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में निर्धारित सर्किल दर अंकन 8,03,880-00 रुपये के अनुसार प्रतिफल की धनराशि अंकन 32,15,520-00 रुपये में विक्रय करना चाहती है। वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपजिलाधिकारी सहारनपुर से आख्या प्राप्त की गयी। उप जिलाधिकारी सहारनपुर की आख्या दिनांक 19.03.2025 प्राप्त हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.03.2025 में स्पष्ट किया गया है कि वादीया अपनी भूमि 0.0693 हे० को विक्रय करना चाहती है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई भूमि अवशेष नहीं बचती है। वादीया उक्त विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि को मा० मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश की शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु विक्रय करना चाहती है। विक्रय किये जाने वाली भूमि भार मुक्त है, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उक्त भूमि को क्रय करने के लिये तैयार नहीं है। विक्रय की जाने वाली भूमि पट्टे की नहीं है। प्रश्नगत भूमि धारा 77 उ०प्र० राजस्व संहिता से आच्छादित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत भूमि के विक्रय किये जाने में धारा 98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 का उल्लंघन नहीं होता है। वादीया को उक्त भूमि को विक्रय किये जाने की संस्तुति उप जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा की गयी है। -

अतः श्रीमती प्रेमवती पत्नी बुच्चा राम निवासी ग्राम मौहम्मदपुर माफी तहसील व जिला सहारनपुर को खसरा नम्बर 164 रकबा 0.2770 हे० में से 0.0693 हे० भूमि स्थित ग्राम मौहम्मदपुर बहलोलपुर परगना, तहसील व जिला सहारनपुर को सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98(1) के खण्ड (ग) एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 का नियम 99 के प्रस्तर 8(ड) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि के अन्तरण का प्रतिफल कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की विन्सी धारा एवं नियमावली के विन्सी नियम का उल्लंघन होता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में संश्लेषित की जाए।

दिनांक-02.04.2025

(रजनीश कुमार निब)
अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा ग्राम चुनहेटी गाडा, सौदपुरा एवं मौहम्मदपुर बहलोलपुर में सड़कति के आधार पर खातोदारों से प्राधिकरण के लिए किये जाने वाले बैनामों हेतु निम्न अधिकारियों व कर्मचारियों को नामित किया जाता है :-

- 1- श्री सुधीर गुप्ता, अवर अभियन्ता / श्री आशीष सक्सेना, अवर अभियन्ता
- 2- राजस्व लेखपाल (उप-जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा नामित)
- 3- श्री श्रीपाल, प्रधान लिपिक, स०वि०प्रा०

उक्त समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सहारनपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत होने वाले समस्त बैनामों की कार्यवाही नियमानुसार अपनी देख-रेख में प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

(संतोष कुमार राय)
उपाध्यक्ष

पत्रांक : 2529 /अर्जन/स०वि०प्रा०/2024-25

दिनांक 11 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
- 2- अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), सहारनपुर।
- 3- उपमहानिरीक्षक, निवन्धन, सहारनपुर।
- 4- सव-रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहारनपुर।
- 5- सचिव, स०वि०प्रा०।
- 6- विशेष कार्यधिकारी, स०वि०प्रा०।
- 7- वित्त एवं लेखाधिकारी, स०वि०प्रा०।
- 8- अधिरासी अभियन्ता, स०वि०प्रा०।
- 9- सहायक अभियन्ता व समस्त अपर अभियन्ता, स०वि०प्रा०।
- 10- उपरोक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुपालनार्थ, स०वि०प्रा०।
- 11- गार्ड फाइल।

(संतोष कुमार राय)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AAALS0359L



नाम / Name
SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

07092022

निगमन / गठन की तारीख
Date of Incorporation / Formation
02/05/1995




भारत सरकार
Government of India

भारतीय सर्वोप
Ashish Saxena
पन्ना निर्मा/क्र.सं: 20/03/1971
पुंल/ MALE

Issue Date: 17/01/2012

8663 8179 5328
VID : 9138 0107 9291 8144
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Government of India

भारतीय सर्वोप
Ashish Saxena
पन्ना निर्मा/क्र.सं: 20/03/1971
पुंल/ MALE

Address:
S/O Krishna Chand Saxena, 311/108 A,
MIRAPUR, D.A.V. COLLEGE, MIRAPUR,
Allahabad, Allahabad,
Uttar Pradesh - 211003

8663 8179 5328
VID : 9138 0107 9291 8144
www.uidai.gov.in

Saxena





भारतीय पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



Card Valid Until: 26 Oct 2025



नाम: श्री
Rukesh Singh
पिन: 0170221002
गैर/माली

Card Valid Until: 26 Oct 2025

7822 2156 6592

VID: 9140 8569 5541 3621

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
आमन: ब्रह्म सिंह, हरिपुर, सहारनपुर,
उत्तर प्रदेश - 247121

Address:
S/O: Braham Singh, Haripur,
Saharanpur,
Uttar Pradesh - 247121



7822 2156 6592

VID: 9148 8569 5541 3621

1800 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

Handwritten signature or mark.

भारत सरकार
Ministry of Information & Public Relations



श्री पाल
Shree Pal
जन्म तिथि/DOB: 02/07/1966
पुरुष/ MALE

3979 2899 8715
VIO : 9101 9908 0236 2446
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Ministry of Information & Public Relations


वेब
C/O चमन सिंह, 307, विजय कॉलोनी, बाराणसी,
उत्तर प्रदेश - 247001

Address:
C/O Chaman Singh, 307, Vijay Colony,
Safwanpur, Saharanpur,
Uttar Pradesh - 247001



3979 2899 8715
VIO : 9101 9908 0236 2446

SITE PLAN OF AGRIC. LAND KH. NO-163/164
SITUATED AT GRAM MOHMAOPUR BAHLOL PUR
PARAGNA TEHSIL & DIST. SAHARANPUR
OWNER → NATHIRAM S/ SHANKAR LAL & OTHER
PURCHASER → S. D. A. SAHARANPUR
AREA → SOLD AREA = 0.3950 HECT.



Mohi Devi



Maharaj



[Signature]



VINI & ASSOCIATES
V. K. SAINI
Architectural Designer



आवेदन सं०: 202500702026965

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10756 के पृष्ठ 73 से 100 तक क्रमांक 5745 पर दिनांक 15/05/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार

उप निबंधक : सदर द्वितीय

सहारनपुर

15/05/2025

